

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 31/2024- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि. (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप- धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, जिसे सा. का. नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी III में, क्र सं. 12 के सामने,-

- I. स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - II. स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "1" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. संख्या. 334/03/2024- टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मार्च, 2024, जिसे सा.का.नि. 213 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।